

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 25 फरवरी, 2006

क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, (क. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम-3 में शब्द "समुचित रसीद" के पश्चात शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" जोड़ा जाए।
2. नियम-4 में शब्द "समुचित रसीद" के पश्चात शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" जोड़ा जाए।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(नन्द कुमार)  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 दिनांक 25 फरवरी 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(नन्द कुमार)  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

// 2 //

पू0कमांक एफ 2-1/2005/1/6  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी, 2006

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशान मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
  2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, रायपुर
  3. महामहिम राज्यपाल महोदय को सचिव, राजभवन, रायपुर
  4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
  5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
  6. सचिव, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर
  7. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण
  8. मुख्यसचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर
  9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, रायपुर
  10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली
  11. सचिव, राजस्व मंडल बिलासपुर
  12. समस्त विभागाध्यक्ष
  13. समस्त कलेक्टर्स,
  14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
15. नियंत्रक क्षेत्रीय मुख्यालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कार्य करें।

सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
सांख्यिक प्रशासन विभाग

52 (39)

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH  
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
DAU KALYAN SINGH BHAWAN, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur Dated 25 February 2006

No. F 2-1/2005/1/6:: In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005,) the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In rule 3, after the words "proper receipt" the words "or non-judicial stamp or money order" shall be added.
2. In rule 4, after the words "proper receipt" the words "or non-judicial stamp or money order" shall be added.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh

  
(Nand Kumar)

Secretary

Government of Chhattisgarh  
General Administration Department

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2006—फाल्गुन 19, शक 1927

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक ई-1-2/2006/1/2.—श्री बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. (1993) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, संचालक, खाद्य एवं नियंत्रक, नापतौल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, खाद्य एवं पदेन विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है. श्री अनंत अपने कार्य के साथ-साथ नियंत्रक, नापतौल का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. भगई, मुख्य सचिव.

